राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ सिविल विविध स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2354/2016

अन्तर्गत

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या : 353/2016

सुमेरी लाल बनाम बालूराम

20.9.2016

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

उपस्थित :

अपीलार्थी/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री आर.के.अग्रवाल।

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री राहुल तिवारी।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई यह सिविल प्रथम अपील दिनांक 17.8.2016 को विचारार्थ ग्रहण की जा चुकी है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया।

विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, कम 2, किशनगढबास, अलवर द्वारा दीवानी वाद संख्या 88/2011 उनवानी बालूराम बनाम सुमेरीलाल में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2016 में विवाद्यक संख्या 2 के कम में जो निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया है, के कम में दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो तथ्यात्मक स्थिति प्रकट की गई है, को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपील में उठाये गये कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2016 की क्रियान्विति को अपील के अंतिम निस्तारण तक स्थगित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/43